तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2022 बअनवान वक्फ बोर्ड सेड़वा बनाम सहायक अभियन्ता वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2022	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस **आदेश** दिनांक 15.12.2022 उपस्थिति 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई 2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री संजय सोनी अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई इस पर जामा मजिस्द का निर्माण किया गया तथा वादग्रस्त आराजी पर वक्फ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस द्वारा सड़क निर्माण करने हेतु सामग्री डालने की कार्यवाही की जाकर जबरदस्ती सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रेस्पोडेंटस अपने मकसद में सफल हो जाते है तो अपीलांटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस के पास अपील पेश करने का कोई राईट नहीं है। अपीलांटगण वक्फ बोर्ड के सदस्य हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अपीलांटगण द्वारा आवश्यक पक्षकारा श्रीमान जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया गया। सड़क निर्माण का कार्य जनता के हितों के लिए किया जा रहा है। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांटगण न तो अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा न ही वक्फ बोर्ड के सदस्य हो ऐसा कोई	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दस्तावेजाता पेश किया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 15.12.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर